न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी   –एक/17   R 570-I/17

महेन्द्र सिंह तनय अर्जुन सिंह
निवासी– ग्राम बड़ागांव, तहसील
देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना, म0प्र0
— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
— अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि 6/02/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6/2/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2016 अनुविभागीय अधिकारी, जिला पन्ना, म0प्र0 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी अन्दर अवधि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के मुख्य तथ्य

1– यह कि, ग्राम बड़ागांव में स्थित भूमि आराजी नम्बर 874 रकवा 1.42 हैक्टेयर पर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है जिस पर आवेदक के बाप दादाओं के द्वारा लगभग 500 वृक्ष आम, इमली, जामुन, आंवला, कटहल, नीबूं आदि के फलदार वृक्ष लगाकर एवं रहायसी मकान बनाकर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है, एवं आवेदक स्वंय वर्तमान में अपने परिवार सहित उक्त मकान में रह रहा है। फिर भी तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा प्रकरण कमांक 100/अ–69/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा धारा 148 के तहत उक्त भूमि को शासकीय भूमि मानते हुये आवेदक को बेदखल कर दिया गया।

R 570-I/17 जिला फोरम

3-10-17	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार पुकार कराया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।
	पी0 अध्यक्ष

(2)